रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273447
CG-DL-E-15062026-273447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948**
No. 407]	**NEW DELHI, , TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISHTHA 19, 1948**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

सा.का.नि. 454 (अ).-विस्फोटक अधिनियम,1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, एतदद्वारा उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया जाता है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के बारे में, यदि कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो, उप सचिव (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा न. 145, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली– 110001 को या ईमेल: expl-dipp@nic.in द्वारा ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों को अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (1-क) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंर्तविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(1-ख) लाइसेंसधारी अमोनियम नाइट्रेट स्टोर हाउस की निगरानी के लिए सीसीटीवी स्थापित करेगा और सीसीटीवी निगरानी सुरक्षा उद्देश्य के लिए जिला पुलिस अधिकारियों को सुरक्षित डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा। सीसीटीवी रिकॉर्ड को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा। स्टोर हाउस के प्रवेश द्वार की निगरानी के लिए प्रमुख स्थानों पर स्टोर हाउस के बाहर सीसीटीवी कैमरा और उसके केबल लगाए जाएंगे।"

3. मूल नियमों में, नियम 37 के बाद, निम्नलिखित नियम अंर्तविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

"**37-क. लाइसेंसधारक (फर्म या कंपनी या एसोसिएशन या सोसाइटी) के नाम में परिवर्तन के कारण लाइसेंस में संशोधन-** (1) जहां कहीं भी, लाइसेंसधारक का नाम जैसे फर्म या कंपनी या एसोसिएशन या सोसायटी में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, लाइसेंसधारक नए नाम के पक्ष में लाइसेंस के संशोधन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा-

(क) लाइसेंस प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन;
(ख) नाम के परिवर्तन के संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य;
(ग) लाइसेंसधारी के नए नाम पर सभी अनुमोदित आहरणों की प्रतियां;
(घ) लाइसेंसधारी के नाम में परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र;
(ङ) अपेक्षित जांच शुल्क और संशोधन शुल्क।"
4. मूल नियमों में, नियम 38 के बाद, निम्नलिखित नियम अंर्तविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -
"**38-क. लाइसेंस का हस्तांतरण-**(1) इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए लाइसेंस को, लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकेगा।
(2) एक आवेदक जो लाइसेंस को अपने पक्ष में हस्तांतरित करना चाहता है, वह लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा-
(क) लाइसेंस प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन;
(ख) आवेदक या उसके अधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर;
(ग) आवेदक के पक्ष में लाइसेंस के हस्तांतरण का अनुरोध करते हुए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित मौजूदा लाइसेंसधारी से एक पत्र या लाइसेंसधारी के अकेला व्यक्ति होने की दशा में उसकी मृत्यु के मामले में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र;
(घ) मौजूदा लाइसेंसधारक को जारी किया गया मूल लाइसेंस;
(ङ) आवेदक के पक्ष में परिसर के अधिकारों के हस्तांतरण के संबंध में सहायक दस्तावेजों की प्रतियां; (च) लाइसेंस में संशोधन के लिए यथा लागू अपेक्षित जांच शुल्क;
(छ) आवेदक के नाम पर सभी अनुमोदित आहरणों की प्रतियां;
(ज) आवेदक की स्थिति चाहे व्यक्तिगत, मालिकाना फर्म, साझेदारी फर्म, कंपनी, एसोसिएशन या सोसायटी या अन्यथा हो- नाम, मालिक या भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों, जैसा भी मामला हो के पते के साथ दस्तावेजी साक्ष्य और अधिभोगी की तस्वीरें, प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं;
(i) आवेदक के पक्ष में लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र:
बशर्ते कि अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा यदि आवेदक के पास ऐसा लाइसेंस है जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका है।"
5. मूल नियमों के, नियम 50 की, तालिका में, पंक्ति क्रम संख्या 5 के बाद, निम्नलिखित पंक्ति अंर्तविष्ट की जाएगी, अर्थात्:-

6	आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त वस्तु एवं सेवा कर	उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र

6. मूल नियमों की, **अनुसूची I** में, तालिका के क्रम संख्या 3 में, पंक्ति (ग) में अंतिम पंक्ति से "या" और पंक्ति (घ) को हटा दिया जाएगा।

7. मूल नियमों की, **अनुसूची II** में,

(क) भाग-1 में, प्रपत्र संख्या क-3 के समक्ष तालिका में, मद "(घ) स्टोर हाउस से कृषि प्रयोजन के लिए 3 मीट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु उसे रखने का लाइसेंस" को हटा दिया जाएगा।

(ख) प्रपत्र क-3 के, पैरा-1 में, मद "(घ) स्टोर हाउस से कृषि प्रयोजन के लिए 3 मीट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु उसे रखने का लाइसेंस" को हटा दिया जाएगा।

(ग) भाग-2 के, लाइसेंस प्रपत्र त-3 में, प्रस्तावना में, मद: "(घ) स्टोर हाउस से कृषि प्रयोजन के लिए 3 मीट्रिक टन से अनधिक अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु उसे रखने का लाइसेंस" को हटा दिया जाएगा।

(घ) भाग-3 में, प्रपत्र द-5 में, "स्टीवडोर द्वारा अनुरक्षित" शब्दों के बाद, शब्द "या आयातक/निर्यातक" अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

[फा. सं. पी-13033/63/2026-विस्फोटक]

डॉ. काजल, संयुक्त सचिव

नोट- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना संख्या सा.का.नि 553 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2012 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 469 (अ), दिनांक 9 जुलाई 2013, सा.का.नि 938 (अ), दिनांक 27 सितंबर, 2018, सा.का.नि 608 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2021, सा.का.नि 239 (अ) दिनांक 17 अप्रैल और सा.का.नि 377(अ) दिनांक 9 जून, 2025 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

G.S.R. 454(E).—The draft of the following rules to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Deputy Secretary (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 145, Vanijya Bhawan, New Delhi –110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement,-

(1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the principal rules, in rule 12, after the sub-rule (1-a), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1-b) The licensee shall install CCTV for monitoring of the Ammonium Nitrate store house and shall provide secured digital access to the District Police Authorities for CCTV monitoring security purpose. The CCTV records shall be

retained for a minimum period of three months. The CCTV camera and its cables shall be placed outside the store house at prominent locations for surveillance of store house access door."

3. In the principal rules, after the rule 37, the following rule shall be inserted, namely:-

37-a. Amendment of licence due to change of name of the licensee (firm or company or association or society).—(1) Wherever, name of the licensee such as firm or company or association or society is proposed to be changed, the licensee shall submit application to the licensing authority for amendment of licence in favour of the new name along with—

(a) application in the form as appropriate for grant of licence;

(b) documentary evidence with supporting documents in respect of the change of the name;

(c) copies of all approved drawings in the new name of the licensee;

(d) no objection certificate from the District Magistrate for change in the name of the licensee;

(e) requisite scrutiny fee and amendment fee."

4. In the principal rules, after the rule 38, the following rule shall be inserted, namely:-

"**38-a. Transfer of licence.—(**1) A licence granted under these rules may be transferred by the authority empowered to grant the licence.

(2) An applicant who desires to get the licence transferred in his favour shall submit to the licensing authority—

(a) an application in form appropriate for grant of the licence;

(b) specimen signature of the applicant or his authorised person;

(c) a letter from the existing licensee signed by the authorised person requesting the transfer of licence in favour of the applicant or a succession certificate from a competent court in case of death of a licensee being an individual;

(d) original licence issued to the existing licensee;

(e) copies of supporting documents regarding transfer of rights of the premises in favour of the applicant;

(f) requisite scrutiny fee as applicable for amendment of licence;

(g) copies of all approved drawings in the name of the applicant;

(h) status of the applicant whether individual, proprietary firm, partnership firm, company, association or society or otherwise— documentary evidence along with names, addresses of the proprietor or partners or directors or members as the case may be, and photographs of the occupier, to be submitted;

(i) a no objection certificate from the District Magistrate for transfer of the licence in favour of the applicant:

Provided that no objection certificate shall not be necessary if the applicant holds a licence for which a no objection certificate has already been granted."

5. In the principal rules, in rule 50, in the table, after row sl no.5, the following row shall be inserted, namely:-

6	Commissioner/ Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner of Goods and Service Taxes	Their respective jurisdiction

6. In the principal rules, in **SCHEDULE I,** in the serial number 3 of the table, in the row (c) "or" in the last line and row (d) shall be deleted.

7. In the principal rules, in **SCHEDULE II,**

(a) in PART –1, in the table against Form No A-3, the item “(d) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate for agriculture purpose from a store house not exceeding 3 MT.” shall be deleted.

(b) in FORM A-3, in para-1, the item “(d) Licence to possess for use of Ammonium Nitrate for agriculture purpose from a store house not exceeding 3 MT.” shall be deleted.

(c)in PART-2, in LICENCE FORM P-3, in the preamble, the item: (d)LICENCE TO POSSESS FOR USE OF AMMONIUM NITRATE FOR AGRICULTURE PURPOSE FROM A STORE HOUSE NOT EXCEEDING 3MT “shall be deleted.

(d) in PART-3, in FORM R-5, after the words, “maintained by a Stevedore”, the words, “or importer/exporter“ shall be inserted.

[F. No. P-13033/63/2026-EXPLOSIVE]

DR. KAJAL, Jt. Secy.

Note.- The principle rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R 469(E), dated the 9th July 2013, G.S.R. 938(E), dated the 27th September, 2018, G.S.R. 608(E), dated the 31st August, 2021, G.S.R.239 (E) dated the 17th April, 2025 and G.S.R. 377(E) dated 9th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.15 16:04:15 +05'30'